न्यायमूर्ति *एच.एस. बेदी के समक्ष*

किरण दीक्षित - *याचिकाकर्ता*

बनाम,

चंडीगढ़ प्रशासन एवं

एक और - *उत्तरदाताओं*

सीडब्ल्यूपी 1998 का 2731

27 मार्च 1998

सहसंस्था भारत का, 1950—कला. 14, 226/22 7—प्रवेश—पात्रता-एम. बी. बी. एस. में प्रवेश पाठ्यक्रम- अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी मैं यूरी, 1998 - इस शर्त पर कि केवल वे उम्मीदवार ही प्रवेश के लिए पात्र हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ के स्कूल/कॉलेज से +1 और +2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त है - यह शर्त 100% आरक्षण के बराबर है। संस्थागत प्राथमिकता- अनुमेय नहीं- खंड को अधिकारेतर के रूप में खारिज कर दिया गया।

पर आयोजित एम.बी.बी.एस. के लिए सभी 50 सीटें भरने के लिए उपलब्ध हैं। प्रतिवादी ।-कॉलेज में पाठ्यक्रम, उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं जो खंड 1 के खंड (ए), (बी) और (सी) के अनुसार पात्र थे, दूसरे शब्दों में, 100 प्रतिशत सीटें संस्थागत आधार पर आरक्षित की गई हैं वरीयता। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है.

(पैरा 12)

आगे आयोजित, यह शब्द "और यू.टी. में स्थित है।" चंडीगढ़ में, अधिसूचना के खंड 1 (बी) में उल्लिखित उक्त स्कूल/कॉलेजों के नियमित छात्रों के रूप में इसे मनमाना माना जाता है और इसलिए इसे रद्द कर दिया जाता है।

(14 के लिए)

डॉ बलराम गुप्ता एवं अमर विवेक एडवोकेट, *याचिकाकर्ता के लिए*

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता जे.एस. सिंधु, वकील, *प्रतिवादी के लिए*

निर्णय

न्यायमूर्ति एच.एस. बेदी (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता, एक नाबालिग, जिसने अपने दादा के माध्यम से वर्तमान रिट याचिका दायर की है, ने एमबीबीएस में प्रवेश के संबंध में 22 जनवरी, 1998 की अधिसूचना, अनुलग्नक पी -1 के खंड 1 (बी) को चुनौती दी है। पाठ्यक्रम सरकारी मेडिकल कॉलेज, सराय बिल्डिंग, सेक्टर 32-ए, चंडीगढ़ द्वारा संचालित किया जाएगा, इस आधार पर कि खंड में यह शर्त रखी गई है कि प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को +1 और +2 परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित स्कूल/कॉलेज को उक्त स्कूल/कॉलेज के नियमित छात्रों के रूप में मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है। यह स्वीकृत स्थिति है कि अधिसूचना अनुबंध पी-1 के परिणामस्वरूप अब तक कोई प्रवेश नहीं किया गया है, लेकिन यह आशंका है कि इसे बाहर रखा जाएगा, याचिकाकर्ता प्रवेश शुरू होने से पहले इस न्यायालय में आया है।

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:-

(2) याचिकाकर्ता कर्नल रविंदर दीक्षित की बेटी है, जो एक सेवारत सेना अधिकारी हैं। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण, उसके पिता को मई, 1992 से आज तक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बाहर विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया था और उनकी लगातार पोस्टिंग के परिणामस्वरूप, उसने भी विभिन्न स्थानों पर अध्ययन किया था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बाहर के स्कूल। इन संस्थानों का विवरण नीचे दिया गया है:

(3) याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि यद्यपि अधिसूचना, अनुलग्नक पी-1, विभिन्न अन्य मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों से संबंधित है, फिर भी शर्त संख्या 1 (बी) में निहित शर्त केवल एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए और उस अतिरिक्त कारण से लगाई गई थी। , यह भेदभावपूर्ण भी था।

(4) इस मामले में प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था और प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़ के प्रिंसिपल द्वारा एक लिखित बयान दायर किया गया है। यह बताया गया है कि लगाई गई शर्त को इस न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और, इस प्रकार, इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सका। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा जिन व्यापक तथ्यों पर आरोप लगाया गया है, उन्हें उत्तरदाताओं द्वारा निकाला नहीं गया है। इसलिए, उठाया गया प्रश्न पूर्णतः कानूनी है।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील डॉ. बलराम गुप्ता ने तर्क दिया है कि खंड 1(बी) उन छात्रों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण का सृजन करता है, जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से +1 और +2 की परीक्षा दी थी और यह उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के कारण यह खंड पूरी तरह से अनुचित था *अनंत घाव* में। *हरियाणा राज्य और अन्य*(1), *मीनाक्षी मलिक* में। *दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य* (2), जिसमें यह माना गया कि ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती। इस न्यायालय के एक फैसले पर भी भरोसा जताया गया है *मीनल शर्मा* में। *हरियाणा राज्य और दूसरा* (3).

(6) इसके विपरीत, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अशोक अग्रवाल ने इसी तरह की नीति का आग्रह किया है

मीनल शर्मा के मामले (सुप्रा) में भी इसे बरकरार रखा गया है *नेनमैं में मैं पी सिंह* में। *पंजाब राज्य और अन्य* (4) और, इस प्रकार, यह याचिका सफल नहीं हो सकी। मीनाक्षी मलिक के मामले (सुप्रा) से निपटते समय, श्री अग्रवाल ने तर्क दिया कि इस फैसले में कोई कानून नहीं बनाया गया था, बल्कि मामले के तथ्यों के आधार पर मामले से निपटा गया था और अदालत ने देखा था कि यह व्यक्तिगत कठिनाई का मामला था। याचिकाकर्ता अकेले उस आधार पर सफल होने का हकदार था।

(7) मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। शर्त संख्या 1(बी) जो वर्तमान कार्यवाही में लागू की गई है, नीचे दी गई है:-

1. एम.बी.बी.एस. (सरकारी, मेडिकल कॉलेज, सराय बिल्डिंग, सेक्टर 32-ए, चंडीगढ़: (50 सीटें)

   (बी) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त और यू.टी. में स्थित स्कूलों/कॉलेजों से +1 (पहली कक्षा) और +2 (12वीं कक्षा) दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की हो। चंडीगढ़ के, उक्त स्कूलों/कॉलेजों के नियमित छात्रों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान के कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ।

(8) मीनाक्षी मलिक के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक समान प्रावधान लागू करने के लिए कहा गया था, जिसमें प्रावधान था कि दिल्ली के तीन मेडिकल कॉलेजों में से एक में प्रवेश पाने के लिए, एक उम्मीदवार को 1 1वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। दिल्ली से परीक्षा ऐसा प्रतीत होता है कि मीनाक्षी मलिक के पिता, जो एक सरकारी कर्मचारी थे और सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण विदेश में तैनात किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप वह दिल्ली से केवल 12वीं कक्षा की परीक्षा ही उत्तीर्ण कर सके, जबकि 11वीं कक्षा की परीक्षा दिल्ली के बाहर एक स्कूल में ले जाया गया। इस स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार को दिल्ली के किसी स्कूल में पिछले दो वर्षों की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, यह योग्यता शर्त उन उम्मीदवारों के मामले में लागू होने पर अनुचित है जो थे सरकार द्वारा माता-पिता को ऐसे विदेशी देश में तैनात करने के कारण भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। कोई नहीं है

इस मामले में ऐसे छात्र के लिए वास्तविक विकल्प, और कई मामलों में छात्र की परिस्थितियाँ उसे भारत में स्कूली शिक्षा जारी रखने की अनुमति नहीं देती हैं 3. - सैद्धांतिक रूप से यह संभव है कि किसी छात्र को उसकी स्कूली शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रावास में रखा जाए दिल्ली में। लेकिन कई मामलों में यह संभव नहीं हो सकता है और छात्र को माता-पिता के साथ विदेश जाना होगा। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अंतिम दो वर्ष की शिक्षा दिल्ली के किसी स्कूल में प्राप्त करने की शर्त की कठोरता में ढील दी जानी चाहिए, और माता-पिता के छात्रों के मामले में उस शर्त को पूरा करने पर कोई जोर नहीं दिया जाना चाहिए। जिन्हें सरकार द्वारा किसी विदेशी देश में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसलिए, उन्हें अपने साथ भारत छोड़ना पड़ता है। नियमों का उद्देश्य उचित होना है, और उन परिस्थितियों की विविधता को ध्यान में रखना चाहिए जिनमें नियम जिन पर शासन करना चाहते हैं वे स्वयं को पाते हैं। हमारी राय है कि दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए योग्यता के नुस्खे में शर्त यह है क अंतिम दो वर्ष की शिक्षा दिल्ली के एक स्कूल में होनी चाहिए, इसे उन छात्रों पर लागू नहीं माना जाना चाहिए जिन्हें अपनी पढ़ाई के साथ भारत छोड़ना पड़ता है। सरकार द्वारा माता-पिता को विदेश में तैनात किये जाने पर।

तदनुसार, याचिकाकर्ता को दिल्ली के मेडिकल कॉलेजो में से एक में सीट पर प्रवेश देने से इनकार करना अनुचित माना जाना चाहिए।

(9) इसलिए, यह स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च ने माना कि लगाई गई शर्त अनुचित थी और ऐसी शर्त को उन छात्रों पर लागू नहीं माना जाना चाहिए जिन्हें अपने नियंत्रण से परे कारणों से अपने माता-पिता क साथ भारत छोड़ना पड़ा था। हालाँकि, यह सच है, जैसा कि श्री अग्रवाल ने तर्क दिया है, कि सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ एक विदेशी सेवा के संदर्भ में थीं, लेकिन, मेरे विचार से, ये टिप्पणियाँ पूरी तरह से रक्षा कर्मियों के मामले पर लागू होंगी, जो कारणों से जो अपने नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें बार-बार स्थानांतरण से गुजरना पड़ता है और उन्हें अपने निवास स्थान से बाहर तैनात रहना पड़ता है। महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के संबंध में एक समान नियम बनाते समय,

बंबई उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ आप *अर्चना* बनाम *डीन, सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर और अन्य* (5) निम्नानुसार देखा गया:-

"याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री खेडेकर ने तर्क दिया कि नियमों के उद्देश्य, इसकी पृष्ठभूमि, सीएल में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए। बी(5) और क्षेत्र/निवास के आधार पर विभिन्न आरक्षण की वैधता पर विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुपात, "महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक संस्थान से" भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने

की आवश्यकता उम्मीदवारों पर लागू करने का इरादा नहीं है। आर. बी(3) द्वारा कवर किया गया। हमें ऐसा लगता है कि विवाद उचित है। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के पाठ्यक्रम और परीक्षा पूरे भारत में आम है। सर्विसमैन का अपनी पोस्टिंग पर कोई नियंत्रण नहीं है जो कि महाराष्ट्र सहित कहीं भी हो सकती है। किसी सैनिक के मेधावी बेटे/बेटी को, जो महाराष्ट्र का मूल निवासी है, प्रवेश से इनकार करने के नियम का केवल इस कारण से कोई संयोग नहीं है कि उसके बच्चे को 12वीं कक्षा में पढ़ते समय महाराष्ट्र राज्य में तैनात नहीं किया गया था। नियम का उद्देश्य. महज मौका वैध अयोग्यता कारक नहीं हो सकता। ऐसा नियम न केवल मनमाना और अनुचित होगा, बल्कि वास्तविक समय पर तैनात महाराष्ट्र के मूल निवासी सैनिकों की दो श्रेणियों (i) महाराष्ट्र में और (ii) महाराष्ट्र के बाहर के बीच भेदभाव की अनुमति देगा। यह वर्गीकरण स्पष्ट रूप से हानिकारक होगा और इसमें किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं होगा। जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार केवल निवास और/या क्षेत्र के आधार पर प्रवेश से इनकार करने के खिलाफ कहा है। व्याख्या के सिद्धांतों में कहा गया है कि जो व्याख्या संवैधानिकता की ओर ले जाती है, उससे बचा जाना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि संभव हो तो। इस प्रकार उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए नियम की व्याख्या करनी होगी। नियम स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है और इसे समझने में कुछ कठिनाई उत्पन्न होती है।

(10) यह ध्यान देने योग्य है कि यह निर्णय विशेष रूप से मीनल शर्मा के मामल (सुप्रा) में अनुमोदित किया गया था।

(11) श्री अग्रवाल का अतिरिक्त तर्क कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वास्तव में, अनंत मदान के मामले में विचाराधीन नियम को बरकरार रखा था, इस कारण से निराधार है कि जो नियम विचाराधीन था वह काफी हद तक अलग था। उक्त नियम नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

(i) जिन उम्मीदवारों ने हरियाणा में मान्यता प्राप्त संस्थानों में नियमित उम्मीदवार के रूप में 10वीं, 10+1 और 10+2 कक्षाओं का अध्ययन किया है

(ii) हरियाणा राज्य सरकार के नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के बच्चे/वार्ड/हरियाणा राज्य के अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित हरियाणा कैडर/वैधानिक निकायों/निगमों में शामिल अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, चाहे वे हरियाणा में तैनात हों या बाहर।

के बच्चे/वार्ड के कर्मचारी

भारतीय रक्षा सेवाएँ *बनाम* हरियाणा राज्य से संबंधित अर्धसैनिक बलों को उनके सेवा रिकॉर्ड के अनुसार सेवा में प्रवेश के समय ”

(12) वास्तव में, इस निर्णय में यह विशेष रूप से निर्धारित किया गया है कि यद्यपि प्रवेश में प्राथमिकता निवास के आधार पर और साथ ही संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर दी जा सकती है, फिर भी उस आधार पर कोई पूर्ण आरक्षण नहीं हो सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह निर्णय, वास्तव में, श्री अग्रवाल द्वारा दिए गए तर्क के विरुद्ध है। इस तथ्य के अलावा कि जिस नियम को वैध माना गया था, उसने ऊपर दिए गए खंड (ii) और (iii) में दो अपवाद प्रदान किए, न्यायालय ने यह भी पाया कि 100 प्रतिशत आरक्षण खराब था। आज मेरे सामने आए मामले में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध सभी 50 सीटें उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं जो खंड (ए), (बी) और (सी) के संदर्भ में पात्र थे।) खंड 1 के, दूसरे शब्दों में, संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर 100 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है. अपनी याचिका के समर्थन में श्री अग्रवाल की अनुप सिंह के मामले (सुप्रा) पर निर्भरता भी अस्थिर है। उक्त मामले में चुनौती बाबा बंदा सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, फतेहगढ़ साहिब में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश विवरणिका के पैरा 1, 2, 3 (iii) में निहित प्रावधानों को थी, जो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से संबद्ध था। , अमृतसर,

जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि उस कॉलेज की सीटों पर प्रवेश केवल उन्हीं छात्रों के लिए खुला होगा जिन्होंने पंजाब राज्य में स्थित स्कूलों/कॉलेजों से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है और पंजाब के मूल निवासी हैं। *चार सीटों को छोड़कर जो अन्य राज्यों/विदेशों में बसे पंजाबी मूल के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं, जिसके लिए उन्हें संबंधित राज्य से अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।' यह है।* इस धारा को इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर बरकरार रखा गया था कि कॉलेज में कुछ प्रतिशत सीटें बाहरी छात्रों के लिए आरक्षित की गई थीं और इस तरह, यह 100 प्रतिशत आरक्षण का मामला नहीं था। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि संस्थागत प्राथमिकता या अधिवास के आधार पर सीटें केवल बाबा बंदा सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज में आरक्षित की गई थीं, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर से संबद्ध अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में नहीं। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, मेरे सामने स्थिति काफी हद तक अलग है और सभी 50 सीटें उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं जो खंड 1 (बी) में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, और कोई अपवाद नहीं रखा गया है।

(13) श्री अग्रवाल ने तब तर्क दिया कि यदि यह माना जाता है कि लागू किया गया खंड कानून की दृष्टि से खराब है, तो प्रवेश के संबंध में एक उचित नीति को फिर से तैयार करने के लिए मामले से निपटने वाले प्रशासकों के लिए इसे खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में उन्होंने भरोसा जताया था *चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य* में। *मनप्रीत सिंह व अन्य* (6). श्री अग्रवाल द्वार दिये गये प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं हो सकता। इस न्यायालय को केवल अधिसूचना, अनुलग्नक पी-1 में एक विशेष खंड की वैधता की जांच करने के लिए बुलाया गया है, और यह संबंधित अधिकारियों के लिए इस तरह से संशोधन करने के लिए हमेशा खुला है जो इसे कानून के अनुरूप बनाता है।

(14) इसलिए, मेरी राय है कि शब्द और यू.टी. में स्थित हैं। अधिसूचना के खंड 1(बी) में

उल्लिखित उक्त स्कूल/कॉलेजों के नियमित छात्रों के रूप में चंडीगढ़ के, अनुलग्नक पी-1 को माना जाता है *अधिकारातीत* मनमाना होने के नाते और इसलिए, इन्हें रद्द कर दिया गया है, *बिलकुल तथ्य से* याचिकाकर्ता जो एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिसूचना अनुलग्नक पी-1 में निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करती है, यदि वह चाहे तो उसे प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा। दस्ती आदेश.

जे. एस. टी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रह

जैस्मीन प्रीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

सोनीपत, हरियाणा